भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4983

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2026/ 02 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है

विदेश से बरामद काला धन

4983. श्री अरुप चक्रवर्ती:

श्री आनंद भदौरियाः:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा विदेशों से कितने काले धन को प्राप्त किया गया है अथवा कर के दायरे में लाया गया है और प्रत्येक देश का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने विदेशों में कर पनाहगाह देशों में रखी 14601 करोड़ रुपये की अघोषित अपतटीय परिसंपत्तियों पर कर लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अब तक विदेशी बैंक खातों में जमा काले धन का भारत में वापस लाए जाने का ब्यौरा क्या है और कर पनाहगाहों में जमा काले धन में वृद्धि/कमी का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में काले धन की अनुमानित राशि कितनी है और घरेलू कर अपवंचन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रस्ताव किए गए हैं।

(ङ) कर प्राधिकारियों, प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को दी गई शक्तियों सहित स्थापित की गई प्रणालियों का ब्यौरा क्या है और क्या कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) विदेशों में भारतीयों द्वारा रखी गई अवैध आय के संबंध में सूचना के प्रवाह के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा विदेशों के साथ हस्ताक्षरित समझौतों का देश-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): आयकर अधिनियम, 1961 या काला धन (अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 में 'काला धन' जैसी किसी अभिव्यक्ति का उल्लेख नहीं है। काला धन (अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 के तहत पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष

(दिनांक 31.12.2025 तक) के दौरान अघोषित अपतटीय आय और संपत्ति पर लगाए गए कर का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**लगाया गया कर (करोड़ रुपये में)**
2023-24	949.51
2024-25	4,556.64
2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	4,009.64

उपरोक्त विवरण को देश-वार नहीं रखा जाता है।

अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्तियों में होने वाली वर्षवार वृद्धि या कमी का विवरण उपलब्ध नहीं है। जब भी किसी अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्तियों से संबंधित कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाती है और आयकर विभाग द्वारा लागू विभिन्न अधिनियमों, जिनमें आयकर अधिनियम, 1961 और काला धन (अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्तियां) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 भी शामिल हैं, के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख): दिनांक 31.03.2026 तक, पनामा, पैराडाइज़ और पंडोरा पेपर के मामलों में लीक्स काले धन (अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति) और कर निर्धारण अधिनियम, 2015 के तहत पाये गए कुल 14,636 करोड़ रुपये की अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति का कर निर्धारण किया गया है। इस प्रकार आंकलित अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति कई कर क्षेत्राधिकारों में मौजूद है, जिनका विवरण क्षेत्राधिकारवार नहीं रखा जाता है। दिनांक 31.12.2025 तक, काला धन (अघोषित अपतटीय आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत 1368 निर्धारण पूरे हो चुके हैं, जिनमें 41,257.08 करोड़ रुपये से अधिक के कर और जुर्माने की मांग की गई है और कुल 167 अभियोजन शिकायतें दर्ज की गई हैं।

(घ): अघोषित घरेलू/ अपतटीय आय और परिसंपत्तियों की राशि के संबंध में कोई सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं है। कर चोरी को कारगर ढंग से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं:-

(i) काला धन (अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्ति) और करारोपण का अधिनियम, 2015, जो दिनांक 01.07.2015 से लागू हुआ है, विदेशों में छिपाकर जमा किए गए काले धन के मुद्दे से विशेष रूप से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।

(ii) बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 2016 को बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में व्यापक रूप से संशोधन करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है, ताकि अन्य बातों के अलावा,

बेनामी संपत्ति की ज़ब्ती और बेनामीदार तथा लाभकारी स्वामी पर मुकदमा चलाने में सक्षम बनाया जा सके।

(iii) प्रासंगिक मामलों में प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई और त्वरित जांच। ऐसी कार्रवाइयों में तलाशी, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का निर्धारण, कर लगाना, जुर्माना लगाना, आदि और, जहां लागू हो, अपराध न्यायालयों में अभियोग दाखिल करना आते है।

(iv) उच्च जोखिम वाले मामलों की पहचान, संदिग्ध मामलों के शीघ्र ई-सत्यापन, NUDGE (नज़) अभियान और उपयुक्त मामलों में परिणामी प्रवर्तन कार्रवाई के लिए सूचना प्रौद्योगिकी, जैसेकि डेटा विश्लेषण उपकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक पैमाने पर उपयोग।

(v) भारत कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पर आधारित स्वचालित सूचना विनिमय (एईओआई) में भी शामिल हो गया है और उन अन्य देशों में रहने वाले भारतीय निवासियों की वित्तीय खाता संबंधी जानकारी वार्षिक आधार पर प्राप्त करता है जिनके साथ एईओआई संबंध सक्रिय है। भारत ने वित्तीय खाता जानकारी को स्वत: रूप से साझा करने के लिए वर्ष 2015 में अमेरिका के साथ एक अंतर-सरकारी करार (आईजीए) भी किया है।

(vi) आयकर विभाग द्वारा नवंबर 2024 और नवंबर 2025 में अपतटीय आय और परिसंपत्तियों की रिपोर्टिंग में करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए नज़ (Non-intrusive Usage of Data to Guide and Enable) अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान के तहत, चयनित निवासी करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचनात्मक संदेश भेजे गए थे। नवंबर 2024 के अभियान के दौरान, 19,501 चयनित करदाताओं को, जिनके पास अपतटीय परिसंपत्तियां होने की सूचना थी, लेकिन उन्होंने संबंधित निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था, सूचना भेजी गई थी। इनमें से 12,046 ने जवाब दिया था और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किया। अभियान के दौरान, कुल 30,161 करदाताओं ने अनुसूची FA भरी और 29,208 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्ति और 1,089.88 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी दी। नवंबर 2025 के अभियान के दौरान, 20,449 चयनित करदाताओं को, जिनके बारे में सूचना मिली थी कि उनके पास विदेशी संपत्ति होने की सूचना थी लेकिन उन्होंने संबंधित निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न में इसका खुलासा नहीं किया था, याद दिलाया गया, जिनमें से 13,194 ने जवाब दिया और अपना संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल किए। इस अभियान के दौरान, कुल 1,57,112 करदाताओं ने अनुसूची FA भरी और 99,882 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्ति और 6,540 करोड़ रुपये की विदेशी आय की जानकारी दी।

(vii) आधार को पैन से अनिवार्य रूप से जोड़ना, जिससे न केवल पैन की डुप्लीकेशन को रोकने में मदद मिलेगी बल्कि संभावित कर धोखाधड़ी को भी रोका जा सकेगा।.

(ङ): सरकार ने अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्तियों की चुनौती से निपटने के लिए एक व्यापक और बहुस्तरीय कानूनी ढांचा तैयार किया है। इस ढांचे का आधार काला धन (अघोषित विदेशी आय और परिसंपत्तियां) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 है, जो अघोषित अपतटीय आय और परिसंपत्तियों पर अलग और कठोर कराधान का प्रावधान करता है, साथ ही दस वर्ष तक के कारावास के प्रावधान के साथ अभियोजन का भी प्रावधान

करता है। यह अधिनियम आयकर अधिनियम, 1961 से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 में पूरक शक्तियां भी प्रदान करता है, जिनमें धारा 131, 132, 133 और 133ए के प्रावधान शामिल हैं, जो कर अधिकारियों को सर्वेक्षण, तलाशी, ज़ब्ती करने और कर चोरी से संबंधित जानकारी तलब करने का अधिकार देते हैं।

आयकर विभाग के अंतर्गत अपतटीय परिसंपत्ति जांच इकाइयों (FAIU) का एक समर्पित विभाग (Vertical) सृजित किया गया है, जिसका कार्य अंतरराष्ट्रीय विनिमय तंत्र के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं की जांच करना और उन पर कार्रवाई करना है। यह विभाग निर्धारण और प्रवर्तन कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करता है। वर्तमान में, विभाग में 69 सहायक/उप निदेशक आयकर (जांच), एफएआई इकाइयां कार्यरत हैं, जिनका नेतृत्व 29 संयुक्त/अपर निदेशक आयकर (जांच), एफएआई इकाइयां कर रही हैं। वर्तमान में, आयकर विभाग में एफएआई इकाइयों के अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आयकर विभाग प्रवर्तन निदेशालय वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू-आईएनडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि घरेलू कर चोरी और विदेशों में छिपाकर जमा की गई अघोषित परिसंपत्तियों से जुड़े मामलों को नागरिक और विदेशी मुद्रा आयामों के माध्यम से एक साथ आगे बढ़ाया जाए।

प्रवर्तन निदेशालय को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (एफईओए) के प्रशासन और प्रवर्तन का दायित्व सौंपा गया है। निदेशालय की भूमिका तब सामने आती है जब फेमा के तहत कोई उल्लंघन या पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत परिभाषित पीओसी के सृजन को प्रकट करने वाला कोई अनुसूचित अपराध निदेशालय द्वारा देखा जाता है, या एफईओए से जुड़े किसी अनुसूचित अपराध का संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है, और जहां अंतर्ग्रस्त राशि 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, बशर्ते कि आरोपी भारत से भाग गया हो।

प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन के जोखिमों और खतरों के आधार पर तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं की जांच करके मामला दर्ज करता है। जांच पूरी होने के बाद, विशेष न्यायालय में अभियोजन की शिकायत दर्ज की जाती है। हाल ही में, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस, फोरेंसिक उपकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ओएसआईएनटी तकनीक और डिजिटल संसाधनों का इष्टतम उपयोग शामिल है, ताकि जांच-कार्य में तेजी लाई जा सके और मामलों को कुशलतापूर्वक निपटाया जा सके। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य इकट्ठा करने के कार्य को सुदृढ़ करना और जटिल वित्तीय विश्लेषण क्षमताओं में सुधार करना भी महत्वपूर्ण है।

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा विदेशी देशों के साथ हस्ताक्षरित वे समझौते, जिन्होंने सूचना के आदान-प्रदान संबंधी अनुच्छेद को अद्यतन किया है, नीचे सूचीबद्ध हैं:

i. भारत गणराज्य की सरकार और श्रीलंका लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य की सरकार के बीच आय करों से संबंधित दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए हुए समझौते में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल है।

ii. भारत गणराज्य और ओमान सल्तनत की सरकार के बीच आय करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए हुए समझौते में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल।

iii. भारत गणराज्य की सरकार और कतर राज्य की सरकार के बीच आय करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए समझौता।

iv. भारत गणराज्य की सरकार और फ्रांस गणराज्य की सरकार के बीच 29 सितंबर 1992 को हुए दोहरे कराधान से बचाव और पूंजी पर आय करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए हुए सम्मेलन (और इसके प्रोटोकॉल) में संशोधन करने वाला प्रोटोकॉल।

v. प्रवर्तन निदेशालय ने मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एफएटीएफ की सिफारिशों और अन्य वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी ढांचों के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, संपत्ति वसूली में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के भारत के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है।

इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिनिधित्व में भारत एसेट रिकवरी इंटरएजेंसी नेटवर्क- एशिया पैसिफिक (एआरआईएन-एपी) का सदस्य है और सीबीआई एवं प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से भारत भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के वैश्विक परिचालन नेटवर्क (ग्लोब-ई नेटवर्क) का सदस्य है। एआरआईएन-एपी और ग्लोब-ई नेटवर्क दोनों ही सदस्य देशों के बीच विशेष रूप से परिसंपत्तियों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

vi. सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए इंटरपोल, एमएलएटी (MLAT) और ईजीएमओएनटी (EGMONT) जैसे अन्य अनौपचारिक माध्यमों का भी उपयोग किया जाता है।
